दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06.11.2023

सि.वि.(मु.) 1800/2023 और सि.वि.आ. 57164/2023

सुधीर पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मनीष कुमार, श्री पीयूष कौशिक
और सुश्री अपराजित झा, अधिवक्तागण

बनाम

प्राइम मेडेन प्राइवेट लिमिटेड ... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री राजेश राय, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (मौखिक):</u>

<u>सि.वि.आ. 57164/2023 (छूट हेतु)</u>

अनुज्ञात, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>सि.वि.(मु.) 1800/2023 और सि.वि.आ. 57164/2023</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर की गई यह याचिका जिला न्यायाधीश, दक्षिण-पूर्व, साकेत न्यायालय, दिल्ली द्वारा सि.वा. (वाणि.) सं. 318/2020, जिसका शीर्षक **मैसर्स प्राइम मेडेन लिमिटेड बनाम मैसर्स सुधीर पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड** ('विचारण न्यायालय') है, में पारित दिनांक 19.10.2023 के आदेश पर आक्षेप करती है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.सं.') की धारा 151 के अंतर्गत अभि.सा.-3 की ओर से शपथ-पत्र के माध्यम से दायर किए गए साक्ष्य को अस्वीकार करने की मांग करने वाले आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

1.1. विचारण न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता मूल प्रतिवादी है और प्रत्यर्थी मूल वादी है। प्रत्यर्थी ने 48,90,000/- रुपये की राशि की वसूली हेतु एक वाणिज्यिक वाद दायर किया है।

1.2. पक्षकारों को उनके पद व स्थिति के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष संदर्भित किया जा रहा है।

2. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी द्वारा दिनांक 06.04.2023 को साक्षियों की एक सूची दायर की गई थी। यद्यपि, उनका कहना है कि यहाँ वादी ने प्रारंभ में केवल एक साक्षी अर्थात् अभि.सा.-1 का साक्ष्य शपथ-पत्र दायर किया था।

2.1. उनका कहना है कि अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि में परिवर्तन के कारण, वादी कंपनी ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन हेतु सि.प्र.सं. की धारा 151 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया। उनका कहना है कि चूंकि प्रतिस्थापन हेतु आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2023 के आदेश के माध्यम से अनुज्ञात किया गया था, इसलिए वादी ने अभि.सा.-2 अर्थात् सुश्री साक्षी रायज़ादा का साक्ष्य शपथ पत्र दायर किया और साथ ही दिनांक 14.08.2023 को साक्षियों की एक संशोधित सूची भी दायर की।

2.2. उनका कहना है कि प्रतिवादी ने एकल साक्षी के साक्ष्य का नेतृत्व करने का प्रस्ताव किया है और उक्त प्रस्तावित साक्षी का साक्ष्य शपथ-पत्र दिनांक 05.07.2023 को दायर किया गया है।

2.3. उनका कहना है कि वादी दिनांक 14.08.2023 की साक्षी-सूची में उल्लिखित सभी साक्षियों के साक्ष्य शपथ-पत्र को एक साथ दायर करने हेतु बाध्य था और अकेले अभि.सा.-2 साक्ष्य शपथ-पत्र को चयनित रूप से दायर नहीं कर सकता है।

2.4. उनका कहना है कि अभि.सा.-2 की प्रतिपरीक्षा की गई और दिनांक 31.08.2023 को उसे उन्मोचित कर दिया गया था। उन्होंने कहा, यह दिनांक 03.10.2023 को इस विलंबित चरण में है, वादी ने प्रस्तावित अभि.सा.-3 का साक्ष्य शपथ-पत्र दायर किया।

2.5. उनका कहना है कि प्रतिवादी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 ('2015 का अधिनियम') द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XVIII नियम 4 के प्रावधान पर भरोसा करते हुए दिनांक 11.10.2023 के इस आवेदन के माध्यम से अभि.सा.-3 के साक्ष्य शपथ-पत्र को दायर करने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि वह विशेष रूप से आदेश XVIII के नियम 4 (1क) पर भरोसा करते हैं, जिसके संदर्भ में, पक्षकार पहले मामले की प्रबंधन सुनवाई में निर्दिष्ट समय पर अपने सभी साक्षियों के शपथ पत्र एक साथ दायर करने हेतु बाध्य है।

2.6. उनका कहना है कि प्रतिवादी पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहा है क्योंकि प्रस्तावित अभि.सा.-3 के साक्ष्य शपथ-पत्र के परिशीलन से पता चलता है कि वादी ने विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं में सुधार करने की मांग की है जिस पर अभि.सा.-2 से प्रतिपरीक्षा की गई थी।

2.7. उनका कहना है कि प्रतिपरीक्षा के दौरान, अभि.सा.-2 उन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था, जिन्हें प्रतिपरीक्षा में उसके समक्ष रखा गया था, इसलिए, वादी ने अब प्रस्तावित अभि.सा.-3 के साक्ष्य के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा उठाए गए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर साक्ष्य देने की मांग की है। उनका कहना है कि अभि.सा.-2 द्वारा ऐसे किसी भी तथ्य के अभिसाक्ष्य की मांग नही की गयी थी और न ही अभिवचनों में ऐसे तथ्यों का उल्लेख मिलता है।

3. प्रत्युत्तर में, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता अर्थात् वादी का कहना है कि दिनांक 11.10.2023 के आवेदन के परिशीलन से पता चलता है कि उक्त आवेदन में, प्रतिवादी ने प्रस्तावित अभि.सा.-3 के साक्ष्य शपथ पत्र के कुछ हिस्सों की पहचान या उसे विनिर्दिष्ट नहीं किया है, जो अभिवचनों से परे है या अभि.सा.-2 के साक्ष्य पर तात्कालिक व्यवस्था के परिणाम के समान है। उनका कहना है कि इसलिये इन विवाद्यकों पर इस न्यायालय के समक्ष दी गयी दलीलें इस आवेदन में उठाये गये अभिवचनों से परे है।

3.1. उनका कहना है कि इस मामले के तथ्यों में, विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.03.2023 को विवाद्यकों को विरचने के पश्चात् पक्षकारों को साक्षियों की एक सूची दायर करने का निर्देश दिया था।

3.2. उन्होंने कहा कि इसके बाद दिनांक 06.04.2023 के आदेश के अनुसार, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया और शपथ-पत्र के माध्यम से साक्ष्य दायर करने का निर्देश जारी किया।

3.3. उनका कहना है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी या प्रतिवादी को एक साथ सभी साक्षियों के शपथ-पत्र दायर करने हेतु कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए थे और इसलिए, वादी ने प्रारंभ में केवल एक साक्षी अर्थात् अभि.सा.-1 का साक्ष्य दायर किया, जिसकी बाद में वादी कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि में

परिवर्तन के कारण दिनांक 31.07.2023 के आदेश के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा वापस लेने की अनुज्ञा प्राप्त की गई थी।

3.4. उनका कहना है कि अभि.सा.-3 के साक्ष्य शपथ-पत्र के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज दायर नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि यह मामला अभि.सा.-3 की प्रतिपरीक्षा हेतु स्थानीय आयुक्त के समक्ष सूचीबद्ध है और इस मामले के तथ्य संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इसके पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस न्यायालय के मध्यक्षेप को समर्थित नहीं करते हैं।

4. प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह रिकॉर्ड का विषय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी को अपने सभी साक्षियों के साक्ष्य शपथ-पत्र को एक साथ दायर करने हेतु दिनांक 27.03.2023 या 06.04.2023 को कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया था। यद्यपि, उनका कहना है कि चूंकि यह आदेश XVIII नियम 4 (1क) का अधिदेश है कि उन सभी साक्षियों के साक्ष्य का शपथ-पत्र, जिनके साक्ष्य का नेतृत्व एक पक्षकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, एक साथ दायर किया जाएगा, इसलिए वादी को अन्यथा प्रतिविरोध देने हेतु नहीं सुना जा सकता है।

4.1. उनका कहना है कि प्रावधान आदेश XVIII नियम 4(1-क) की आज्ञापक प्रकृति को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.09.2018 **सि.वा.(वाणि.) 548/2018** में निर्णीत ***एंबिएंस प्राइवेट लिमिटेड***

बनाम होटल एंबिएंस व अन्य और दिनांक 11.09.2023 के कर्नाटक उच्च न्यायालय की **रिट याचिका सं. 201900/2023 (सि.वि.-सि.प्र.सं.)** में निर्णीत ***कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड व अन्य बनाम ए. प्रभाकर रेड्डी व अन्य*** के मामलों पर विचार करते हुये यह प्रतिविरोध किया गया कि उक्त प्रावधान प्रकृति में आज्ञापक है।

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पक्षकारों के प्रतिविरोध की सराहना करने के लिए, इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.03.2023 और 06.04.2023 के आदेशों के साथ-साथ स्थानीय आयुक्त के समक्ष अभिलिखित कार्यवाही का भी परिशीलन किया है।

7. विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.03.2023 के आदेश के माध्यम से विवाद्यकों को विरचित किया और पक्षकारों को दिनांक 06.04.2023 को अपने साक्षियों की सूची दायर करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात, दिनांक 06.04.2023 के आदेशानुसार, विचारण न्यायालय ने वादी के साथ-साथ प्रतिवादी के साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित करने हेतु एक स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया। विचारण न्यायालय ने विपक्षी पक्षकार को शपथ-पत्र के माध्यम से साक्ष्य की अग्रिम प्रति देने का निर्देश जारी किया। विचारण

न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2023 के आदेश के माध्यम से दिए गए निर्देशों का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है :-

> *"पक्षकारों को साक्ष्य अभिलिखित कराने के लिए दिनांक 08.05.2023 को पीई हेतु विद्वान स्थानीय आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। विद्वान स्था.आ. पक्षकारों से परामर्श करके साक्ष्य अभिलिखित करने की अन्य तिथि तय कर सकते हैं, और अंतिम तर्कों से 15 दिन पूर्व साक्ष्य को पूरा कर सकता है।*
>
> *अब, स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट की प्रतीक्षा और अंतिम बहस 11.07.2023 को होगी।*
>
> *विद्वान स्था.आ. के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि से कम से कम तीन दिन पहले विपक्षी पक्षकारों को साक्ष्य की अग्रिम प्रतियां शपथ-पत्र के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।*
>
> *यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकार विद्वान स्था.आ. के समक्ष निर्धारित तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने या साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने में विफल हो जाता है तो, ऐसा करने का उनका अधिकार समाप्त माना जाएगा।*
>
> *आदेश की एक प्रति पक्षकारों के साथ-साथ विद्वान स्थानीय आयुक्त को भी प्रदान की जाए।"*
>
> (ज़ोर दिया गया)

8. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त आदेश के पारित होने के बाद, वादी ने अपने प्रस्तावित साक्ष्य अभि.सा.-1 का साक्ष्य शपथ-पत्र दिनांक 08.05.2023

को दायर किया और उक्त अभि.सा.-1 की स्थानीय आयुक्त के समक्ष आंशिक रूप से प्रतिपरीक्षा की गई।

9. इस बीच, प्रतिवादी ने दिनांक 05.07.2023 को अपने एकमात्र साक्षी का साक्ष्य शपथ-पत्र दायर किया।

10. यद्यपि, बाद में, 08.07.2023 को, वादी ने दो आवेदन दायर किए; एक वादी कंपनी के नाम में परिवर्तन हेतु और दूसरा वादी कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन हेतु। उक्त आवेदनों को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2023 के आदेश के माध्यम से अनुज्ञात किया गया था और चूंकि प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन को अनुज्ञात किया गया था, परिणामस्वरूप, वादी को साक्षी की संशोधित सूची दायर करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी। अभि.सा.-2 और अभि.सा.-3 को 14.08.2023 को दायर साक्षियों की संशोधित सूची में विधिवत सूचीबद्ध किया गया था।

11. अभि.सा.-2 का साक्ष्य शपथ-पत्र साक्षियों की संशोधित सूची के साथ दिनांक 14.08.2023 को दायर किया गया था। संबंधित आदेश दिनांक 14.08.2023 निम्नानुसार हैः-

> *"14.08.2023*
> *उपस्थित- वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण श्री साहिल सोलंकी और श्री रोहन राय।*

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष कौशिक।

वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभि.सा.-2 की ओर से साक्ष्य के शपथ-पत्र, साक्षियों की संशोधित सूची के साथ सि.प्र.सं. आदेश VIII नियम 1क (3) के अंतर्गत आवेदन का प्रत्युत्तर दायर किया। प्रतिलिपि प्रदान की गई।

आदेश VIII नियम 1क (3) सि.प्र.सं. के तहत आवेदनों पर दलीलें सुनी गईं।

इस आवेदन को आज अपराह्न 4:00 बजे आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाये।

अपराह्न 4:00 बजे
उपस्थित- वादी की ओर से कोई नहीं।

श्री मनीष कुमार, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता (वीडियो कॉल के माध्यम से)।

पृथक आदेश के माध्यम से, न्यायालय के समक्ष घोषणा करते हुए, प्रतिवादी द्वारा दायर आदेश VIII नियम 1क (3) सि.प्र.सं. के तहत आवेदन खारिज किया जाता है और तदनुसार निपटान किया जाता है।

<u>दोनों पक्षकारों को दिनांक 1.08.2023 को साक्ष्य अभिलिखित कराने हेतु विद्वान स्थानीय आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। विद्वान स्थानीय आयुक्त को विशेषतः दैनिक आधार पर साक्ष्य अभिलिखित करने का निर्देश दिया जाता है और पक्षकारों को दैनिक आधार पर साक्ष्य अभिलिखित करने में विद्वान स्था.आ. के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।</u>

स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट की प्रतीक्षा और अंतिम बहस 18.09.2023 को होगी।

(ज़ोर दिया गया)

12. दिनांक 14.08.2023 के आदेश के संदर्भ में, इसके बाद, अभि.सा.-2 की 21.08.2023 और 31.08.2023 को प्रतिपरीक्षा की गई और तदनुसार उसे उन्मोचित कर दिया गया। उल्लेखनीय है, कि इनमें से किसी भी तिथि पर, अभि.सा.-3 के साक्ष्य के शपथ-पत्र को दायर न करने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

13. दिनांक 31.08.2023 को, स्थानीय आयुक्त ने दिनांक 06.09.2023 हेतु अभि.सा.-3 के परीक्षण हेतु मामला तय किया। संबंधित आदेश इस प्रकार हैः-

> *"अभि.सा.2 की प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई है और तदनुसार उन्मोचित कर दिया गया।*
> ***दिनांक 06.09.2023 को 2:45 पर अभि.सा.3 को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाए।***
> *आज की कार्यवाही के जुर्माने का भुगतान वादी द्वारा किया गया है।"*
>
> (ज़ोर दिया गया)

14. अभि.सा.-3 के परीक्षण हेतु वादी को प्रदानित समय के लिए दिनांक 31.08.2023 को स्थानीय आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। तदनुसार, वादी ने दिनांक 03.10.2023 को प्रस्तावित साक्षी अभि.सा.-3 का साक्ष्य शपथ-पत्र दायर किया।

15. इस अवस्था में यह था कि प्रतिवादी द्वारा आपत्ति उठाई गई थी और उसके बाद प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिका पर अभि.सा.-3 की प्रतिपरीक्षा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि "बहुत देर हो चुकी

है"। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य आपत्ति नहीं उठाई गई। सि.प्र.सं. के आदेश XVIII नियम 4 (1क) के प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था और आपत्ति का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। प्र.सा.-3 के परीक्षण हेतु स्थानीय आयुक्त द्वारा दिनांक 09.10.2023 को मामले को स्थगित कर दिया गया था।

तदनुसार, दिनांक 09.10.2023 को विद्वान स्थानीय आयुक्त के समक्ष यह था कि प्रतिवादी द्वारा पहली बार आपत्ति उठाई गई थी, जिसके बाद दिनांक 11.10.2023 को विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें सि.प्र.सं. के आदेश XVIII नियम 4 (1क) पर भरोसा करते हुए अभि.सा.-3 की ओर से, शपथ-पत्र के माध्यम से दायर साक्ष्य को अस्वीकार करने की मांग की गई थी। प्रतिवादी का उक्त आवेदन आक्षेपित आदेश दिनांक 19.10.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

16. इस मामले के तथ्यों में, यह ध्यान देने योग्य विषय है कि साक्षियों की सूची प्रारंभ में दिनांक 06.04.2023 को दायर की गई थी और साक्षियों की संशोधित सूची दिनांक 14.08.2023 को दायर की गई थी। यद्यपि, वादी ने प्रारंभ में केवल श्री रजनीश कुमार (अभि.सा.-1) और बाद में दिनांक 14.08.2023 को केवल सुश्री साक्षी रायज़ादा (अभि.सा.-2) का साक्ष्य शपथ-पत्र दायर किया, यद्यपि, जैसा कि उक्त आदेश से स्पष्ट है, इस अवस्था में,

प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी कि वादी कंपनी के सूचीबद्ध साक्षी सं. 3, श्री सूर्यकांत महापात्रा का साक्ष्य शपथ-पत्र सि.प्र.सं. के आदेश XVIII नियम 4 (1-क) के संदर्भ में दायर नहीं किया गया है।

17. जबकि मामला स्थानीय आयुक्त के समक्ष दिनांक 21.08.2023 और 31.08.2023 को सूचीबद्ध किया गया था, इस मामले के तथ्यों में, विचारण न्यायालय के आदेश पत्रों और स्थानीय आयुक्त के समक्ष कार्यवाही के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी ने दिनांक 09.10.2023 से पहले किसी भी अवस्था में वादी के सिं.प्र.सं. आदेश XVIII नियम 4 (1क) के संदर्भ में अपने सभी साक्षियों के शपथ-पत्र एक साथ दायर न करने के संबंध में आपत्ति नहीं जताई थी।

18. इस न्यायालय की राय में, प्रतिवादी की ओर से यह आपत्ति प्रतिवादी द्वारा अभि.सा.-2 की प्रतिपरीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व दिनांक 14.08.2023 या 21.08.2023 को स्वीकार की जानी चाहिए थी; ताकि वादी को मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया जा सके। यह इस कारण से भी है कि जैसा कि अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि 2015 के अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XV(क) नियम 2(ग) और आदेश XVIII नियम 4 (1क) के संदर्भ में मामले के प्रबंधन की सुनवाई करते समय विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया गया था।

19. इसके अलावा जबकि वादी ने प्रस्तावित अभि.सा.-3 का साक्ष्य शपथ-पत्र दिनांक 03.10.2023 को दायर किया था, यद्यपि, प्रस्तावित अभि.सा.-3 को दिनांक 14.08.2023 को साक्षियों की सूची में विधिवत सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि वादी कंपनी द्वारा प्रस्तावित साक्षी अभि.सा.-3 को अभि.सा.-2 की प्रतिपरीक्षा के बाद अचानक पुरःस्थापित नहीं किया गया है।

20. इस न्यायालय ने वादी की ओर से अधिवक्ता की प्रस्तुतियों में यह भी गुणागुण पाएं हैं कि इस न्यायालय के समक्ष मौखिक दलीलों के दौरान उठाई गई आपत्तियां कि प्रस्तावित अभि.सा.-3 द्वारा पैराग्राफ 3, 7, 8 और 10 पर अपने साक्ष्य शपथ-पत्र में किए गए प्रकथन अभिवचनों से परे हैं और/या अभि.सा.-2 के परिसाक्ष्य में सुधार प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.10.2023 को दायर आवेदन में नहीं उठाया गया है।

21. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का प्रतिविरोध है कि विचारण न्यायालय ने वादी के साक्षी अर्थात् अभि.सा.-3 को साक्ष्य देने की अनुज्ञा देने में त्रुटि की है क्योंकि यह 2015 के अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XVIII नियम 4(1क) की आज्ञा का उल्लंघन है। यद्यपि, इस न्यायालय का विचार है कि इस मामले के तथ्यों में ऐसी कोई त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि वादी को आदेश XVA नियम 2(ग) के संदर्भ में शपथ-पत्र दायर करने हेतु कोई

विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए थे और प्रतिवादी द्वारा अगस्त, 2023 में स्थानीय आयुक्त के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

22. इस न्यायालय की, अन्यथा भी, यह राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसके क्षेत्राधिकार के भीतर है और भले ही, विचारण न्यायालय ने अभि.सा.-3 की ओर से साक्ष्य देने की अनुमति देने में त्रुटि की हो, ऐसी त्रुटि उसके क्षेत्राधिकार में आती है। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का अवलंब लेने हेतु कोई मामला नहीं बनाया गया है। इस न्यायालय की राय में, यदि ऐसी याचिका पर विचार किया जाता है, तो यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 8 के आशय के विपरीत होगा।

23. इस संबंध में, ***ब्लैक डायमंड ट्रैक पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ब्लैक डायमंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 3946*** में खण्ड पीठ के निर्णय की टिप्पणियों का उल्लेख करना अनुदेशात्मक होगा।

जिसमें, पैराग्राफ 30 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

> *"30. हमारा विचार है कि एक बार वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम ने सि.प्र.सं. की धारा 115 के अंतर्गत अपनी परिधि में आने वाले वादों के संबंध में पुनरीक्षण आवेदन के उपचार को स्पष्ट रूप से वर्जित किया है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के द्वार खोलकर इसके उद्देश्य को विफल करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत*

एक याचिका की व्याप्ति और परिधि सि.प्र.सं. की धारा 115 के अंतर्गत एक संशोधन आवेदन की व्याप्ति और परिधि से कहीं अधिक व्यापक है; सि.प्र.सं. की धारा 115 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कुछ भी किया जा सकता है, वह संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिकाओं को उन आदेशों के विरुद्ध भी प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करना, जिनके विरुद्ध सि.प्र.सं. की धारा 115 के अंतर्गत एक पुनरीक्षण आवेदन बनाए रखा जा सकता था, किंतु वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 8 के वर्जन हेतु, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के विधायी आदेश को अकृत कर देगा। हाल ही में, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020) 15 एससीसी 706 मामले में, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के अंतर्गत मध्यस्थ अधिकरण के आदेश के विरुद्ध एक अपील में आदेशों के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिकाओं के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत अपील में पारित आदेशों के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिकाओं पर विचार किया जाता है, तो पूरी मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो जाएगी और कई वर्षों तक सफल नहीं होगी। यह पाया गया कि यद्यपि अनुच्छेद 227 एक संवैधानिक प्रावधान है जो मध्यस्थता अधिनियम के एक सर्वोपरि खंड 5 से अस्पर्श है, किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलों को अनुज्ञात करने या खारिज करने वाले निर्णयों के विरुद्ध अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, फिर भी उच्च न्यायालय वैधानिक नीति को ध्यान में रखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने में बेहद चौकन्ना रहेगा, ताकि हस्तक्षेप उन आदेशों तक ही सीमित रहे जिनमें निहित क्षेत्राधिकार में स्पष्ट रूप से कमी है। <u>यद्यपि, इस प्रकार, हमारा विचार है कि जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक वादों में आदेशों के संबंध में अनुच्छेद 227 के द्वार नहीं खोले जाने चाहिए, जिसके विरुद्ध</u>

सि.प्र.सं. के अंतर्गत एक संशोधन आवेदन पोषणीय था, किंतु वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा कौन सा उपाय लिया गया है, परंतु पूर्वोक्त निर्णयों का पालन करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इसे कानून नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार पूरी तरह से वर्जित है। ***यद्यपि उक्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसे वादों में आदेशों के संबंध में बहुत ही संयम और अधिक संयम से किया जाना चाहिए, जिन पर सि.प्र.सं. के तहत पुनर्विचार किया जा सकता था और जिन उपायों को बाद के विधान अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा हटा लिया गया है और यह सुनिश्चित करना कि उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का ऐसा प्रयोग वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के पीछे के विधायी आशय और उद्देश्य को अर्थहीन नहीं बनाता है और वाणिज्यिक वादों के त्वरित निपटान के मध्य नहीं आता है।"***

(ज़ोर दिया गया)

24. एकल न्यायाधीश के निर्णय को संदर्भित करने का भी निर्देश ***ब्लैक डायमंड ट्रैक पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ब्लैक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 545*** में दिया जाएगा जिसमें भारत के संविधान के 227 के तहत निहित क्षेत्राधिकार की परिधि पर प्रकाश डाला गया है:-

"5. ***आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक अधीक्षण की शक्ति का उपयोग निष्कर्षों को उलटने के लिए नहीं किया जा सकता है, भले ही वे कितने भी गलत क्यों न हों, जब तक कि चौंकाने वाले आदेश में कुछ गलत या अन्यायपूर्ण न हो। न्यायालय का विवेक या निष्कर्ष इतने प्रतिकूल थे कि न्याय के हित में न्यायालय का हस्तक्षेप करना नितांत आवश्यक हो जाता है। अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाएगा।*** *सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स इंडिया पाइप फिटिंग कंपनी बनाम*

फखरुद्दीन एम.ए. बेकर व अन्य (1997) 4 एससीसी 587 और मोहम्मद में यूनुस बनाम मोहम्मद मुस्तकीम और अन्य (1983) 4 एससीसी 566 में टिप्पणी की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार यह देखरेख करने तक सीमित है कि एक अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण अपने अधिकार की सीमा के भीतर कार्य करता है और इसका उद्देश्य किसी त्रुटि को सही करना नहीं है, भले ही यह अभिलेख पर स्पष्ट हो। इस क्षेत्राधिकार को आकर्षित करने हेतु बिना कुछ और बताए केवल एक गलत निर्णय पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि प्रत्यर्थी/वादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने पुनः चेतावनी दी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का उपयोग ऐसे वादों में संयम से किया जाना चाहिए जो सि.प्र.सं. के अंतर्गत पुनरीक्षण योग्य हैं और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा विधायी आशय को संरक्षित करने और वाणिज्यिक वादों के शीघ्र निपटान के वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के पूर्ववर्ती उद्देश्य को प्रभावी करने हेतु कौन सा उपाय हटा दिया गया है।")

('ज़ोर दिया गया')

25. इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी को अभि.सा.-3 की ओर से दायर साक्ष्य शपथ-पत्र के पैराग्राफ 3, 7, 8 और 10 के संबंध में, साक्ष्य के अभिलेखन के दौरान और स्थानीय आयुक्त के समक्ष आपत्तियां उठाने का अधिकार; और यदि ऐसी कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उसके प्रभाव पर विचारण न्यायालय द्वारा निपटान हेतु मामले की अंतिम सुनवाई करते समय विधिवत विचार किया जा सकता है।

26. ***एम्बिएंस प्राइवेट लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, जो सिं.प्र.सं. आदेश XVIII नियम 4 (1ख) के संदर्भ में एक अतिरिक्त शपथ-पत्र* को *अभिलिखित करने के लिए अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में मामले की सुनवाई कर रहा था और अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था। उस स्थिति में, उक्त न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आदेश पारित किया।*

27. यद्यपि, वर्तमान मामले में, यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार से निपट रहा है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु कोई मामला नहीं बनाया गया है।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इस न्यायालय के अनुच्छेद 227 के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि या पर्यवेक्षी सुधार को समर्थित करने वाली अन्य त्रुटि उपलब्ध नहीं है, अतः वर्तमान याचिका को लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

नवंबर 6, 2023/आरएचसी/एमएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*